Received: Nov '22
Revised:
Accepted: Dec '22

© 2022 by the authors. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

INCLUSIVE EDUCATION IN NATIONAL EDUCATION POLICY 2020: PROVISIONS AND CHALLENGES

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समावेशी शिक्षा : प्रावधान एवं चुनौतियाँ

Dr. Girdhari Lal Sharma
Assistant Professor, Dept of Education, Jain Vishva Bharati Institute, Deemed University,
Ladnun, Rajasthan, India- 341306
E-mail: girdhari1976@gmail.com

ABSTRACT

The main objective of the new National Education Policy (NEP) is to make India an educational superpower at the global level, universalize education in India, and raise the quality of education. In the light of the rich tradition of ancient and eternal Indian knowledge and thought, this policy has been prepared. Many such important provisions have been made in this policy for the creation of equitable and inclusive education and society, and tribes, OBCs, linguistic and religious minorities, and disabled people can prove to be a milestone for socioeconomic upliftment if these provisions are properly implemented and the challenges that come with them are faced and resolved with collective efforts. In the presented research paper, the provision and challenges of inclusive education have been discussed in the National Education Policy 2020.

नई राष्ट्रीय एजुकेशन नीति (NEP) का मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक स्तर पर शैक्षिक रूप से महाशक्ति बनाना तथा भारत में शिक्षा का सार्वभौमीकरण कर शिक्षा की गुणवत्ता को उच्च करना है। प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परम्परा के आलोक में यह नीति तैयार की गई है। इस नीति में समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा तथा समाज के निर्माण का समागम करते हुए अनेक ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधान किये गए है जो सामाजिक – आर्थिक रूप से वंचित (एस ई डी जी) वर्गों विशेषतः महिला व ट्रांसजेंडर व्यक्ति, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, भाषायी व धार्मिक अल्पसंख्यक तथा दिव्यांगजनों के सामाजिक आर्थिक उन्नयन हेतु मील का पत्थर साबित हो सकते हैं, यदि इन प्रावधानों का उचित क्रियान्वयन हो तथा इसमे आने वाली चुनौतियों का समग्र प्रयासों से सामना व समाधान किया जाये। प्रस्तुत शोध पत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समावेशी शिक्षा के प्रावधान एवं चुनौतियों पर चर्चा की गई है।

Keywords: राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा की चुनौतियाँ।

मुख्य विषय वस्तु

किसी देश की उन्नति का आधार उस देश की शिक्षा नीति होती है। भारत में चोंतीस वर्ष बाद 29 जुलाई 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित हो गई है।नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 21वीं शताब्दी की ऐसी पहली शिक्षा नीति है, जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए आने वाले आवश्यकता को पूरा करना है। यह नीति भारत की परंपरा और उसके सांस्कृतिक मूल्यों को बरकरार रखते हुए 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्य को प्राप्त करने पर जोर देती है। यह नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से ना केवल साक्षरता, उच्च स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधित संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए बल्कि नैतिक सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना चाहिए।

इस नीति का विजन है छात्रों में, भारतीय होने का गर्व, केवल विचार में नहीं बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी रहे व साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए ताकि भारत को एक "ज्ञान महाशक्ति" बनाया जा सके।

समावेशी शिक्षा

समावेशी शिक्षा की अवधारणा मूलतः अक्षम एवं विकलांग बच्चों को शैक्षिक अवसरों की समानता, शिक्षा में पूर्ण सहभागिता का अवसर उपलब्ध कराना, गुणवत्ता परक शिक्षा के संदर्भ में उन्नत एवं उपयोगी पाठ्यचर्या, या उत्कृष्ठ शिक्षण विधि,सहायक सेवाएं तथा सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने समावेशी शिक्षा के सम्बन्ध में कहा कि- "समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि सभी सीखने वाले बालक हों अथवा युवा चाहे अशक्त हों अथवा नहीं, सामान्य विद्यालय पूर्वव्यवस्था विद्यालयों एवं सामुदायिक शिक्षा केन्द्रों में उपयुक्त सहयोगी सेवाओं के साथ आपस में मिलजुल कर सीखने से समर्थ है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि समावेशन का अर्थ है- मुख्य धारा के विद्यालयों में विशिष्ट आवश्यकताओं के बच्चों का अपने अन्य सहपाठियों के साथ शिक्षा ग्रहण करना"।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समावेशी शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 6 ठे अध्याय "समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा : सभी के लिए अधिगम" शीर्षक के अंतर्गत समावेशी शिक्षा से सम्बंधित विविध प्रावधानों का उल्लेख लिया गया है। इस नीति का मानना है की शिक्षा, सामाजिक न्याय व समानता को प्राप्त करने का एक मात्र और सबसे प्रभावी साधन है। समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा न सिर्फ स्वयं में एक लक्ष्य है बल्कि समतामूलक एवं समावेशी समाज के निर्माण के लिए अनिवार्य कदम है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को सपने संजोने, विकास करने तथा राष्ट्रहित में योगदान करने का अवसर उपलब्ध हो।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विशिष्ट बालकों, जिनमे सामाजिक – आर्थिक रूप से वंचित (एस ई डी जी) वर्गों विशेषतः महिला व ट्रांसजेंडर व्यक्ति, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, भाषायी व धार्मिक अल्पसंख्यक तथा दिव्यांगजनों के समजिक्व आर्थिक उन्नयन हेतु अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (RPWD)-2016 समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित करता है जहाँ सामान्य व दिव्यांग, सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं तथा शिक्षण व सीखने की प्रणाली को इस प्रकार अनुकूलित किया जाता है कि वह प्रत्येक बच्चे की सभी सामान्य व विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो। यह नीति पूरी तरह से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के सभी प्रावधानों के साथ पूरी तरह सुसंगत है तथा स्कूली शिक्षा के सम्बन्ध में इसके द्वारा प्रस्तावित सभी सिफारिशों को पूरा करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समावेशी शिक्षा हेतु प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं :

- समावेशी शिक्षा के **सैद्धांतिक पक्ष** के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी की उत्कृष्ट क्षमताओं को पहचानने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों और अभिभावकों को संवेदनशील बनाया जायेगा।
- शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय मानते हुए सभी पाठ्यक्रम, शिक्षण शास्त्र और नीतियों में विविधता व स्थानीय संदर्भ के लिए सम्मान।
- सभी शैक्षणिक निर्णयों में पूर्ण समानता और समावेश पर फोकस ताकि शिक्षा प्रणाली में सभी छात्रों का विकास सुनिश्चित किया जायेगा।
- शिक्षा को अनुसूचित जातियों के बच्चों तक पहुंचाने , उनकी भागीदारी बढ़ाने और सीखने के अंतराल को कम करने और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जायेगा।
- आदिवासी समुदायों के बच्चों को लाभान्वित करने के लिए विशेष तंत्र की शुरुआत की जाएगी।
- शैक्षणिक रूप से अविकसित समुदायों से संबंधित बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा।
- दिव्यांग बच्चों को भी उन बच्चों की तरह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करने हेतु सक्षम तंत्र बनाया जाएगा।
- **समावेशी शिक्षा के लिए समग्र दृष्टिकोण** के अनुसार सामाजिक व आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग (एसईडीजी) के अधिक आबादी वाले क्षेत्र में विशेष शिक्षा केंद्रों का निर्माण किया जाएगा।
- बच्चों के शैक्षिक परिदृश्य को बदलने हेतु शिक्षा क्षेत्र की सभी योजनाओं व नीतियों का पूर्ण इस्तेमाल किया जाएगा।
- एसईडीजीसे संबंधित बच्चों और विशेष रुप से छात्राओं के शिक्षा के प्रति विषमता समाप्त करने हेतु लक्षित नीतियां और योजनाएं तैयार की जाएगी।
- एसईडीजी वअल्पसंख्यकों के बच्चों के लिए अधिक निधि औरविकसित बुनियादी ढांचा :
- छात्रों और ट्रांसजेंडर बच्चों की शिक्षा हेतु **"जेंडर इंक्लूजन निधि"** फंड का प्रावधान किया जाएगा।
- सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग (एसईडीजी)के बच्चों की समस्याओं के समाधान हेतु समावेशन निधि योजना को विकसित किया जाएगा।
- स्कूलों में,विशेषरूप से एसईडीजीवर्ग के विद्यार्थियों के लिए, निशुल्क बोर्डिंग सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों कासुदृढ़ीकरण और गुणवत्तापूर्ण स्कूलों में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी (12 वी कक्षा तक)।
- आकांक्षी जिलों,एसईडीजी व अन्य वंचित वर्ग में अधिक जेएनवी और केवी का निर्माण किया जाएगा।
- उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने हेतुएसईडीजी वर्ग के मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- नीतियों और योजनाओं जैसे लक्षित छात्रवृत्ति, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए माता-पिता को प्रोत्साहित करने के लिए सशर्त नकद हस्तांतरण, आदि को मजबूत किया जाएगा।
- एसईडीजी से संबंधित बच्चों को छात्रवृत्ति व अन्य अवसर और योजनाओं के लिए एकल खिलाड़ी प्रणाली अपनाई जाएगी।
- **आरपीडब्लूडी अधिनियम-2016 के प्रावधानों के अनुसार -** सभी दिव्यांग बच्चों के लिए बाधा मुक्त शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
- सहायक उपकरण, उपयुक्त प्रौद्योगिकी आधारित उपकरणों के साथ-साथ पर्याप्त व उपयुक्त भाषा में पठन-पाठन सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
- दिव्यांग बच्चे नियमित या विशेष स्कूल शिक्षा और गृह आधारित शिक्षा के विकल्प का चयन कर सकते हैं।
- घर आधारित शिक्षा के लिए ऑडिट की शुरुआत की जाएगी और इसके लिए मानक व दिशानिर्देश विकसित किए जाएंगे।
- गंभीर या एक से अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास और शिक्षा से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन केंद्र और विशेष शिक्षक द्वारा मदद की जाएगी।
- बेहतर शिक्षण परिणामों के लिए शिक्षक शिक्षा का उन्नयन किया जायेगा , जिसमे बी. एड. कार्यक्रमों में शिक्षण शास्त्र में अत्याधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना भी शामिल है।
- बी.एड के बाद अल्प अवधि के सर्टिफिकेट कोर्स बहु विषयक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- सेवारत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने का कौशल विकास पर बल दिया जायेगा। जिसमें लिंग और अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदना का ज्ञान शामिल होगा।
- वैकल्पिक स्कूल के शिक्षकों का क्षमता निर्माण पर विशेष जोर दिया गया है , जिसमें विज्ञान, गणित आदि विषयों समेत नई शैक्षणिक पद्धतियों का ओरियंटेशन भी शामिल है।
- वैकल्पिक स्कूलों का विकास तथा पारंपरिक शिक्षा शास्त्र के संरक्षण हेतु NCFSE द्वारा निर्धारित विषय और शिक्षण क्षेत्रों को उनके पाठ्यक्रम में एकीकृत किया जाएगा।

- उच्चतर शिक्षा में बच्चों के नामांकन को बढ़ाया जाएगा, कम प्रतिनिधित्व की समस्या खत्म की जाएगी।
- पाठ्यक्रम में विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी , अंग्रेजी, राज्य भाषा में या अन्य प्रासंगिक विषयों का समावेश करने के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित की जाएगी।
- पुस्तकालयों का सुदृढ़ीकरण एवं हितधारको में जागरूकता हेतु पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि जैसी पर्याप्त पठन सामग्री, और अन्य शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।
- उच्च गुणवत्ता वाले मॉड्यूल से भारतीय साइन लैंग्वेज सिखाया जाएगाऔर भारतीय साइन लैंग्वेज के इस्तेमाल से अन्य बुनियादी विषयों का विकास किया जायेगा।
- स्कूल शिक्षा प्रणाली में सभी हितधारकों, जिसमें शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रशासन, परामर्शदाता और छात्र शामिल है,को ज्यादा संवेदनशील बनाया जाएगा।
- सीखने की सामग्री के प्रसार के साथ-साथ माता पिता के उन्मुखीकरण के लिए टेक आधारित समाधान का प्रावधान किया गया है।
- स्कूल परिसरों के माध्यम से संसाधनों का सदुपयोग और प्रभावी शासन के माध्यम से संसाधनों के साझे उपयोग द्वारा दिव्यांग बच्चों और SEDG वर्ग के बच्चों को सहायता व मदद में सुधार किया जायेगा।
- स्कूलों/स्कूल परिसरों को दिव्यांग बच्चों के समकेन, विशेष शिक्षकों की भर्ती और संसाधन केंद्रों की स्थापना के लिए संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा।
- दिव्यांग बच्चों को स्कूल परिसर में आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी और इसके लिए एक तंत्र विकसित किया जाएगा।

समावेशी शिक्षा के समक्ष कुछ चुनौतियाँ/ मुद्दे

समावेशी शिक्षा के समक्ष कुछ चुनौतियाँ, रणनीतियाँ या मुद्दे निम्नवत् है-

1. नामांकन में वृद्धि – यू डी आई इस ई के आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर जनजाति और दिव्यांग और इनमे भी विशेषकर महिला छात्रों के नामांकन में काफी गिरावट आई है i इन विशिष्ट जनों के नामांकन में वृद्धि बड़ी चुनौती है। इसके लिए इन बच्चों की स्कूल तक पहुँच की विभिन्न बाधाओं को दूर करना होगा जिसके लिए समयवद्ध तथा नीतिगत सामाजिक व आर्थिक प्रयासों की आवश्यकता होगी।

2. वित्तीय सहायता – विशिष्ट विद्यार्थियों विशेष रूप से इसईडीजी वर्ग के महिला व ट्रांसजेंडर समूहों के शैक्षिक समावेशन हेतु अधिक मात्रा में वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी जिसमे उनके लिए हॉस्टल, तकनिकी उपकरण, विशेष शिक्षकों का प्रशिक्षण व नियुक्ति, आवागमन के साधनों की उपलब्धता आदि में काफी वित्तीय भार आएगा, जिसकी समुचित व्यवस्था स्वयं में एक चुनौती होगी।

3. जेंडर समावेशी निधि का समुचित वितरण – महिला व ट्रांसजेंडर बच्चों तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने की दृष्टि से "जेंडर समावेशी निधि" के गठन का प्रावधान निश्चित ही महत्वपूर्ण कदम है लेकिन राज्यों को इस निधि की उपलब्धता तथा उसका समुचित वितरण व उपयोग चुनौतीपूर्ण कार्य होगा।

4. पाठ्यक्रम में सुधार – भारतीय शिक्षा में समावेशी शिक्षा का प्रावधान पिछले कई वर्षों से चल रहा है, किन्तु हम अभी भी विशिष्ट बालकों की आवश्यकता व आकान्क्षानुरूप पाठ्क्रम नहीं बना पाए हैं। इन ई पी 2020 में पाठ्क्रम में मानवीय मूल्यों पर सामग्री का समावेश तथा विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों से सम्बंधित विस्तृत ज्ञान का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार का पाठ्यक्रम निर्माण निश्चित ही कठिन कार्य होगा क्योंकि अनेक राज्यों में इसका राजनैतिक विद्वेष के कारण विरोध हो सकता है। साथ ही इस दिशा में पाठ्यक्रम विशेषज्ञों को गहन एवं निष्पक्ष कार्य करना होगा।

5. तकनिकी उपकरणों की उपलब्धता – कक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों को अपने सहपाठियों तथा शिक्षकों से जुड़ने हेतु कुछ सहायक उपकरण, उपयुक्त तकनिकी आधारित उपकरण, भाषा उपयुक्त शिक्षण सामग्री जैसे – बड़े प्रिंट व ब्रेल प्रारूपों में सुलभ पाठ्य पुस्तकों को प्रत्येक विद्यालय में उपलब्ध करवाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा, जिसके लिए विशेष वित्तीय तथा मानवीय संसाधनों की आवश्यकता होगी।

6. 'होम स्कूलिंग 'एक चुनौती - इन ई पी 2020 में गंभीर तथा एक से अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को घर पर ही शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु - 'होम स्कूलिंग' का प्रावधान रखा गया है। इसके लिए अत्यधिक संख्या में अतरिक्त प्रशिक्षित अध्यापकों, साथ ही अतरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होगी, जिसकी प्रत्येक विद्यालय में उपलब्धता सुनिश्चित करना निश्चित ही चुनौतीपूर्ण कार्य होगा।

7. विद्यालय में समावेशी संस्कृति का निर्माण – विद्यालय में एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करना जिसमें शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रशासक, काउंसलर तथा छात्र, सभी छात्रों की आवश्यकताओं, सम्मान, प्रतिष्ठा तथा निजता के प्रति संवेदनशील हों। ऐसी संस्कृति छात्रों को सशक्त बनाने में मदद करेगी। लेकिन हम देखते हैं कि ये प्रयास सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं। शिक्षक तथा प्रशासक वर्ग में इसके लिए जो निस्वार्थ दृढ मानसिक इच्छाशक्ति होनी चाहिए, प्रायः उसका अभाव होता है, जो इस प्रकार की संस्कृति निर्माण में एक बड़ी चुनौती होगी।

8 . शिक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण – समावेशित शिक्षा व्यवस्था में अध्यापक केवल अपने आपको शिक्षण कार्य तक ही सीमित नहीं रखता है अपितु विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बालकों का कक्षा में उचित ढंग से समायोजन करना, उनके लिए विशिष्ट प्रकार की शैक्षिक सामग्री का निर्माण करना, विद्यालय के अन्य कर्मचारियों, अध्यापकों तथा विशिष्ट अध्यापक से बालक की विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग व सहकार पूर्ण व्यवहार करना, बालक को मिलने वाली आर्थिक सुविधाओं का वितरण करना इत्यादि कार्य भी करने पड़ते हैं। इसलिए अध्यापक से यह अपेक्षा की जाती है कि शिक्षण के साथ-साथ उपरोक्त कार्यों में पूर्णतः निपुण हो। उसे विशिष्ट सामग्री, विशिष्ट बालकों, विशिष्ट शिक्षा एवं विशिष्ट वातावरण की पर्याप्त जानकारी हो। वह बालकों के प्रति स्वस्थ व सकारात्मक अभिवृत्तियाँ रखता हो, उनके मनोविज्ञान को समझाता हो।

निष्कर्ष

वर्तमान समय में विश्व के समस्त देश अपनी भावी पीढ़ी के सर्वांगीण विकास के लिए अनेकानेक प्रयत्न कर रहे हैं। समाज के

विभिन्न वर्गों के समुचित विकास के लिए विभिन्न शैक्षिक, आर्थिक योजनाओं के साथ बहुलतायुक्त समाज की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा की तरफ गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है। आँकड़े बताते हैं कि आज भी विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शैक्षिक उपलब्धि संबंधी स्थिति चिंताजनक है, आज भी विकलांग लोगों की आधी आबादी शिक्षा से दूर है। ऐसे में भारत की नई राष्ट्रिय शिक्षा नीति -२०२० में समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट बालकों विशेषकर महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर व्यक्ति, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, भाषायी व धार्मिक अल्पसंख्यक तथा दिव्यांगजनों के शैक्षिक, सामाजिक व आर्थिक उन्नयन हेतु अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये हैं। समतामूलक एवं समावेशी समाज का निर्माण केवल सरकार और नीति निर्माताओं के द्वारा होना संभव नहीं है। इसके लिए आवश्यकता है समाज के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति से समग्र एवं निष्ठामूलक प्रयासों की, नई राष्ट्रिय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में सक्रिय एवं सम्पूर्ण भागीदारी निभाने की। यदि हम ऐसा करते हैं तो समतामूलक एवं समावेशी समाज के निर्माण का सपना अवश्य साकार होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. जोशी, प्रमोद (मार्च 2017). कुरुक्षेत्रः समावेशी शिक्षा की दिशा में प्रयास।
3. ठाकुर, यतींद्र (2016-17). समावेशी शिक्षा. मेरठः अग्रवाल पब्लिकेशन।
4. नारंग, एम. के. एवं अग्रवाल, जे. सी (2016-17). समावेशी शिक्षा. मेरठः अग्रवाल पब्लिकेशन।
5. https://pmmodiyojanaye.in/national-education-policy-2020/
6. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1740869
7. https://educationportal.org.in/nep-new-education-policy-2020/